

डाकव्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2001—ज्येष्ठ 2, शक 1923

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1077/167/ऊर्जा/2001.—अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालन एवं प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास संबंधी कार्यों हेतु “छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी” का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, अपर सचिव.

Raipur the 23rd May 2001

NOTIFICATION

No. 1077/167/Urja/2001.—To implement various programmes/schemes of Govt. of India and State Govt. for development of renewable energy sources in the State of Chhattisgarh, Govt. of Chhattisgarh hereby constitutes "Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. AGRAWAL, Addl. Secretary.

205

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.